फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

संख्या 60/21

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/9/22	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने तारीख की प्रार्थना की है। पुनः मुकर्रर चाहा। न्यायहित में अन्य मुकर्रर तारीख पत्रावली दिनांक 15/9/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	15/9/22	[illegible] उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 23/9/22 को पेश हो। रीडर	
	23/9/22	वकील वादी उपस्थित। प्रतीक्षारीजर की तामील है। तामील पेश करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों ने जवाब पेश नहीं किया गया है। न्यायहित में एकमुश्त मुकर्रर किया जाता है यदि तामील है तामील पेश नहीं किया गया तो बाद का मुकदमा तामील के जारिए मुकर्रर किया जायेगा। पत्रावली दिनांक 30/9/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	30/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी; वादी उपस्थित नहीं आवाज लगाई गयी। बार-बार आवाज लगाने पर कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली मुकदमा हाजरी, मुकदमा पैरवी से खारिज की जाती है। पत्रावली फौजदारी कुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	